



उत्तराखण्ड सरकार

SARVENDRA

वित्त लेखे

(खण्ड-1)

2009—2010

उत्तराखण्ड सरकार



विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
खण्ड-1	
• विषय सूची	I-II
• भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण- पत्र	IV-V
• वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	VII-XIV
1 वित्तीय स्थिति का विवरण	1-2
2 प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण	3-4
3 प्राप्तियों का विवरण	5-9
4 व्यय का विवरण कार्यात्मक स्वरूप	10-14
• लेखे पर टिप्पणी	15-22
• परिशिष्ट-1 रोकड़ प्रवाह विवरण	i-iv
खण्ड-2	
भाग-1	
5 प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	23-28
6 उधार एवं अन्य देयता का विवरण	29-31
7 सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण	32-33
8 सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण	34
9 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण	35-37
10 दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण	38
भाग-2	
11 लघुशीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	39-52
12 लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	53-80
13 पूंजीगत व्यय का व्यौरेवार विवरण	81-186

(II)

14	सरकार द्वारा निवेश का ब्यौरेवार विवरण	187-204
15	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	205-227
16	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण	228-267
17	राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके प्रयोग का विस्तृत विवरण	268-270
18	आकस्मिकता निधि और लोक लेखा लेन-देनों का ब्यौरेवार विवरण	271-294
19	उद्दिष्ट शीर्षों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण	295-298

भाग-3

परिशिष्ट


II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	v-xvi
III	उपादान पर तुलनात्मक व्यय	xvii-xxxvii
IV	राज्य सरकार द्वारा दिया गया सहायक/सहायता (संस्था अनुसार एवं योजना अनुसार)	xxxix-xlvi
V	वाह्य सहायता योजनाएँ	xlvii-xlviii
VI	आयोजनागत व्यय योजना	xlix-lvii
VII	एजेंसियों को लागू करने के लिए राज्य में केन्द्रीय योजना के धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (धन राज्य बजट के बाहर कराई) (बिना जॉचा हुआ आंकडा)	lviii-lxii
VIII	(संचित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाते)	lxiii-lxvi
IX	सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	lxvii-lxiv
X	31 मार्च 2010 को अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची	lxx-lxxix
XI	अनुरक्षण व्यय	lxxx-lxxxii

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो राजस्व और पूँजीगत लेखाओं, लोक ऋण एवं देयताओं के लेखाओं और लेखाओं में अभिलेखित शेषों से यथा परिकलित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रकटित वित्तीय परिणामों सहित वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के साथ पठित हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें उत्तराखण्ड सरकार के नियन्त्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरण (संख्या 09), विवरण संख्या 11 की व्याख्यात्मक टिप्पणी संख्या 2 और परिशिष्ट (X) को उत्तराखण्ड सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।


उत्तराखण्ड सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबन्धित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं लेखाओं के संकलन, रख-रखाव, वार्षिक लेखाओं की तैयारी और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के संकलन, तैयारी और अन्तिम रूप देने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के कार्यालय के माध्यम से निर्वहन किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा ऐसे लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित इन लेखाओं पर विचार की अभिव्यक्ति हेतु इन लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबन्ध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन हैं।



सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं के लिए टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे 2009-10 वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के प्रयोजन के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।


वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली उत्तराखण्ड सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक : 11 अक्टूबर 2010
स्थान : OCT



(VII)

वित्त लेखों की मार्गदर्शिका

(अ) सरकारी लेखों की संरचना का विस्तृत विहंगालोकन:

1. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं—

भाग—I समेकित निधि: राज्य के समेकित निधि से राजस्व एवं पूंजीगत लेखे के सभी प्राप्तियां एवं व्यय लोक ऋण तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।


भाग—II आकस्मिकता निधि: विधान सभा कानून के द्वारा आकस्मिकता निधि स्थापित कर सकती है जो कि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है। यह निधि राज्यपाल अधीन होती है जो कि अप्रत्यासित व्यय की पूर्ति करने हेतु होती है जो कि विधान परिषद द्वारा अभी तक पारित नहीं है की पूर्ति हेतु अग्रिम की तरह कार्य करती है। इस निधि की प्रतिपूर्ति व्यय को सम्बन्धित लेखा शीर्ष को नामे डालकर राज्य की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

भाग—III लोक लेखा: अन्य वे सभी लोक धन जो कि शासन या उसकी तरफ से प्राप्त किया जाता है, लोक लेखे में जमा किया जाता है। इस लेखे से सम्बन्धित संव्यवहारों पर विधान सभा में चर्चा नहीं की जाती। इस लेखे से सम्बन्धित प्राप्तियों में सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। संव्यवहार जो कि ऋण (लोक ऋण भाग —I को छोड़कर) जमा अग्रिम संचित निधियां प्रेषण और उचंत से सम्बन्धित होते हैं, लोक लेखा होते हैं।

(VIII)

अ. 1.1 सरकारी लेखों की संरचना का चित्रीय निरूपण

सरकारी लेखों की संरचना



(IX)

2. खण्ड, अनुभाग एवं प्रक्षेत्र इत्यादि।

उपरोक्त पूर्व पृष्ठ के 'अ' 1.1 में वर्णित समेकित निधि के दो मुख्य खण्ड है। 'राजस्व एवं पूंजीगत, लोक ऋण, ऋण इत्यादि' जो कि प्राप्तियों एवं व्यय अनुभाग में विभाजित किए जाते हैं। समेकित निधि के प्रत्येक खण्ड एवं अनुभाग में व्यय की तरफ के संव्यवहार, सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ एवं आर्थिक सेवाएँ प्रक्षेत्र में समाहित किए जाते हैं जिसके अन्तर्गत विशेष कार्य एवं सेवाएँ समाहित हैं। प्रक्षेत्रों को उपप्रक्षेत्र एवं लेखे के मुख्य लेखा शीर्षों में उपविभाजित किया जाता है। मुख्य लेखा शीर्ष क्रिया कलापों को बताते हैं तथा इनको उपमुख्य लेखाशीर्ष (उप क्रिया कलाप) एवं लघु शीर्षों (कार्य) जो कि वित्त लेखे के खण्ड दो में वर्णित है, विभाजित किया जाता है। लघु शीर्षों के नीचे उपशीर्ष (योजनाएँ), विस्तृत शीर्ष एवं ब्यौरेवार शीर्षों (व्ययों के उद्देश्यों) को (कुछ अपवादों को छोड़कर) वित्त लेखे में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। यद्यपि कुछ विस्तृत ब्यौरों को परिशिष्टों में सम्मिलित किया जाता है।

(ब). विवरणों में सम्मिलित ब्यौरा।

वित्त लेखे दो खण्डों में विभाजित किए गए है।

खण्ड 1 में सरकार के वित्तीय विवरणों को सामान्य समझ हेतु विवराणात्मक प्रारूप में जबकि

खण्ड 2 विस्तृत प्रारूप में प्रस्तुत किये गये हैं।

खण्ड 1 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रमाण पत्राचार संक्षिप्त विवरण जैसे नीचे

दिए गए हैं एवं लेखे की नीतियों से सम्बन्धित लेखे की टिप्पणियां सम्मिलित है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण: विवरण में सरकार के सम्पत्ति एवं दायित्वों के संक्षिप्त आंकड़े

जो कि वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होते हैं, दर्शाये जाते है। प्रतिगामी पूंजीगत परिव्यय के

साथ सम्पत्ति वृहत वित्तीय सम्पत्ति है जो कि सरकार के भौतिक परिसम्पत्ति को दर्शाती है।

सम्पत्ति लेखे की नीतियों के अनुसार पहले से दर्शित कीमतों को प्रदर्शित करता है।

(X)

2. प्राप्तियों एवं वितरणों के विवरण: यह एक संक्षिप्त विवरण है जो कि सरकार के तीनों निधियों समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में वर्ष के दौरान हुए प्राप्तियों एवं वितरणों को दर्शाता है। इसके अलावा समेकित निधि के अन्दर राजस्व एवं पूंजीगत लेखों की प्राप्तियों एवं व्ययों को अलग-अलग दर्शाया जाता है।

सरकार की वित्तीय सीमा

प्राथमिक, राजस्व एवं वित्तीय घाटा राज्य के समेकित निधि के प्रचालन पर आगणित किया जाता है। इसलिए समेकित निधि के प्रचलन हेतु निम्न दो विवरण संक्षिप्त रूप से दिए जाते हैं।

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) : इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां तथा भारत सरकार से ऋण अन्य संस्थानों, बाजार ऋण जो सरकार ने लिए हैं ऋणों के कारण वसूलियां एवं अग्रिम सम्मिलित है।

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि) : यह विवरण न केवल कार्यों के द्वारा व्ययों को दर्शाता है बल्कि कार्यों की प्रकृति (व्ययों के उद्देश्यों) का संक्षिप्त व्यय भी प्रदर्शित करता है।

इसके अतिरिक्त खण्ड परिशिष्ट, परिशिष्ट - 1 जो कि सरकार के प्राप्तियों एवं वितरणों का रोकड़ प्रवाह वितरण के रूप में एक वैकल्पिक प्रदर्शन है।

द्वितीय खण्ड में तीन भाग सम्मिलित है। प्रथम भाग में निम्न छः विवरण दिए गए हैं।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण : यह विवरण पूंजीगत कार्यकलापों के प्रगामी कार्य को प्रदर्शित करता है जिसका योग विवरण संख्या एक में दर्शाया गया है।

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण : सरकार के ऋणों के अन्तर्गत बाजार से लिया गया ऋण (आन्तरिक ऋण) भारत सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। ये दोनों सम्मिलित रूप से राज्य सरकार के लोक ऋण है। इसके साथ ही इस संक्षिप्त विवरण में 'अन्य प्राप्तियां' जो कि लोक लेखे के विभिन्न प्रक्षेत्रों में शेष है को भी प्रदर्शित करता है। लोक लेखे के शेषों के सम्बन्ध में सरकार एक धरोहरी या संरक्षक है इसलिए सरकार इन शेषों के प्रति उत्तरदायी होती है। इस विवरण में ऋणों की सेवाओं पर टिप्पणी भी सम्मिलित है जो कि राजस्व प्राप्ति पर कुल ब्याज प्रभार की मात्रा पर टिप्पणी होती है।

(XI)

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का विवरण : राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों को विवरण संख्या एक में तथा वसूलियों एवं भुगतानों के प्रकृति को विवरण संख्या-2, 3 तथा 4 में दर्शाया गया है। यहां ऋण एवं अग्रिम संक्षिप्त क्षेत्र और ऋणी समूहवार है। इसके नीचे ऐसे ऋणों की अवशेष वसूली के सम्बन्ध में एक टिप्पणी अंकित की गयी है जिनका विस्तृत विवरण महालेखाकार तथा राज्य सरकार के विभागों में रखा गया है।

8. राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदानों का विवरण : अनुदान दाता संस्थान को समूहवार तैयार किया गया है। इसमें दिए गए अनुदानों के प्रकार के सम्बन्ध में टिप्पणी भी सम्मिलित की गयी है।

9. सरकार द्वारा दी गई वचनबद्धताओं का विवरण : वर्ष के दौरान वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों जिनके पुर्नभुगतान की वचनबद्धताएँ राज्य सरकार द्वारा दी गई है तथा वर्ष के अन्त में जिन राशियों की वचनबद्धताएँ अवशेष है। उनको इस विवरण में दिखाया गया है।

10. प्रभारित एवं दत्तमत्त व्ययों का विवरण : यह विवरण सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्ययों को दर्शाता है।

भाग-II खण्ड-2: इस भाग में लघुशीर्षवार 9 विवरण है। जो कि लेनदेनों के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये विवरण खण्ड-1, भाग-1 से सम्बद्ध है।

11. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण : यह विवरण सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

12. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर आंकड़ों को अलग-अलग दिखाया गया है तथा विगत वर्षों के आंकड़ों से तुलना भी उपलब्ध है।

13. लघु शीर्षवार पूंजीगत परिव्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरण सरकार के पूंजीगत परिव्ययों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर आंकड़ों को पृथक रूप से दर्शाया गया है। तथा विगत वर्षों के आंकड़ों से तुलना भी उपलब्ध है। वर्ष के अन्त तक के एक मुश्त पूंजीगत परिव्ययों को भी दर्शाया गया है।

(XII)

14. सरकार के विनियोगों का विस्तृत विवरण : यह विवरण सरकार के विगत वर्षों की अंशपूंजी एवं ऋण पत्रों में निवेश की स्थिति को दर्शाता है। विवरण में अंशपूंजी के प्रकार जिनको लिया गया है, मूल्य, प्राप्त लाभांश इत्यादि सम्मिलित है।

15. उधार एवं अन्य देताओं का विस्तृत विवरण : लघु शीर्षवार उधारों का विस्तृत विवरण (सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण एवं भारत सरकार से लिए गए ऋण) परिपक्वता तथा ऋणों के पुर्नभुगतान का पूर्ण विवरण इसमें शामिल है। यह विस्तृत विवरण खण्ड-11 भाग-1 के विवरण संख्या-6 से सम्बद्ध है।

16. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण : सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण, ऋण शेषों में बदलाव ऋणों का अपलेखन, ऋणों पर ब्याज प्राप्ति इत्यादि इस विवरण में सम्मिलित है। यह आयोजनागत ऋणों को पृथक से दिखलाता है यह विस्तृत विवरण खण्ड-2 , भाग-1 विवरण 7 से सम्बद्ध है।

17. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय हेतु अन्य स्रोतों एवं प्रयासों से प्राप्त निधि का विस्तृत विवरण : पूंजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे के अतिरिक्त) तथा व्ययों हेतु अन्य स्रोतों से निधि का विवरण इसमें दर्शाया गया है।

18. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे के लेनदेनों का विस्तृत विवरण : यह विवरण वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में बदलाव, निधि को विनियोग, व्यय, धनराशि की प्रतिपूर्ति को दर्शाता है।

19. उददिष्ट शेषों का विस्तृत विवरण : यह विवरण लोक लेखे के आरक्षित निधियों के अतिरिक्त विनिवेश को विस्तृत रूप से दर्शाता है।

खण्ड-2, भाग-1111 में परिशिष्ट हैं जिनमें वेतन, सब्सिडी, योजनावार एवं संस्थानवार सहायक अनुदान, व वाह्य सहायतित परियोजनाओं का विस्तृत रूप, वृहद् केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य आयोजनागत योजनाओं इत्यादि में योजनावार व्यय को दर्शाया गया है। इस विवरण में लेखे के उपशीर्ष स्तर (लघु शीर्ष से नीचे) जो कि वित्त लेखे में नहीं है को दर्शाया गया है। इनकी एक विस्तृत सूची खण्ड-1 तथा 2 के अनुक्रमणिका में दी गई है। परिशिष्टों को विवरणों के साथ पढ़ने से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

(XIII)

(स)–शीघ्र गणक : विवरणों में क्या सम्मिलित है इसकी तुरन्त जानकारी हेतु नीचे सारणी दी गई है। जिसमें महत्वपूर्ण पैरामीटर के सन्दर्भ में संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण दिया गया है। नीचे दिये गए परिशिष्टों की संख्या विस्तृत नहीं है।

पैरामीटर	विवरणों का सार (खण्ड-1)	विस्तृत विवरण (खण्ड-2)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियां (प्राप्त अनुदानों सहित)	2,3	11	
राजस्व व्यय	2,4	12	2 (वेतन), 3 (उपादान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2	8	4
पूंजीगत प्राप्तियां	2,3	11	
पूंजीगत व्यय	1,2,4	5,13,17	
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम	1,2,7	16	
ऋणों की स्थिति/उधार	1,2,6	15	
कम्पनी, निगमों इत्यादि में सरकार का निवेश		14	
रोकड़	1,2		1,8
लोक लेखा में अवशेष तथा उनका निवेश	1,2	18,19	
प्रत्याभूति		9	
योजनाएँ			5 (वाह्य सहायतित परियोजनाएँ), 6,7

(XIV)

(स)– पुस्तकीय समायोजन: कुछ लेनदेन पुस्तकीय समायोजन के प्रकृति के होने के कारण वास्तविक रोकड़ लेनदेनों को नहीं दर्शाते हैं जैसा कि नीचे दिया गया है। विशिष्ट विवरण को लेखे की टिप्पणियों तथा सम्बन्धित विवरणों की पाद टिप्पणी में दिखाया गया है।


(i)– क्रियात्मक मुख्य लेखा शीर्षों (सम्बन्धित विभाग) को नामे करते हुए वेतन से सभी कटौतियों (सामान्य भविष्य निधि, अग्रिमों की वसूलियां इत्यादि) का समायोजन कर राजस्व प्राप्ति (जैसे सामान्य भविष्य निधि के अतिरिक्त कटौतियां)/लोक लेखे (जैसे सामान्य भविष्य निधि) में पुस्तकीय समायोजन।

(ii)– समेकित निधि को नामे कर निधियों सृजन/लोक लेखे में निधियों का योगदान का समायोजन जैसे आपदा राहत निधि, आरक्षित निधि, ऋण शोधन निधि इत्यादि।

(iii)– समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखे में जमा शीर्षों के लेखे को जमा दिखाना।

(iv)– सामान्य भविष्य निधि में ब्याजों और राज्य सरकार के सामूहिक बीमा योजना में वार्षिक समायोजन, जहां लेखा शीर्ष 2049 ब्याज अदायगी को नामे कर लेखा शीर्ष 8009 सामान्य भविष्य निधि में जमा कर राज्य सरकार के सामान्य भविष्य निधि में ब्याज का समायोजन किया जाता है।

(v)– कुछ समायोजन जैसे ऋणों से मुक्ति योजना जिसको कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार ने मान लिया हो, जहां पर लेखा शीर्ष 0075 विविध सामान्य सेवाएं की विपरीत पृविष्टि करके लेखा शीर्ष 6004 केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम द्वारा केन्द्र सरकार के ऋणों का अपलेखन किया गया हो। इस स्थिति में राजस्व प्राप्ति एवं लोक लेखा दोनों प्रभावित होते हैं।



1. वित्तीय स्थिति का विवरण

सम्पत्ति (अ)	सन्दर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
	लेखों पर टिप्पणी	विवरण		
रोकड़				
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			(-)8.92	(-)13.25
(ii) विभागीय शेष		18	(-)2.11	(-)2.11
(iii) स्थायी नकद अग्रदाय		18	(-)0.87	(-)0.87
(iv) नकद शेष निवेश लेखा		18	0.00	0.00
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (जमा राशि (-) से चिन्हित)			(-)2,27.84	(-)4,70.84
(vi) उद्दिष्ट शेषों से निवेश (ब)		18	7,78.65	7,30.03
पूँजीगत व्यय				
(i) कम्पनियों व निगमों के अंशों में निवेश		13 & 14	12,40.39	10,71.02
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय		13	1,04,27.71	89,50.35
आकस्मिकता निधि (प्रतिपूर्ति के विनीत)		18	84.25	49.88
ऋण एवं अग्रिम		16	7,43.09	7,77.87
विभागीय अधिकारियों से अग्रिम		18
उच्चत तथा विविध शेष (स)		18	7,56.49	14,78.08
प्रेषण शेष		18	5,71.43	4,42.54
व्यय का प्राप्तियों पर संचयी अधिक्य (द)		App-8& St 13	52,49.81	40,78.47
योग			1,96,12.08	1,70,91.17

अ सम्पत्तियां तथा दायित्व संचयी (Cumulative) हैं कृपया 'लेखों पर टिप्पणी' संख्या 1 (ii) देखिए।

ब उद्दिष्ट निधियों का सरकारी कम्पनियों के अंश में निवेश पूँजीगत परिव्यय में सम्मिलित नहीं हैं तथा इनको उद्दिष्ट निधियों के निवेश के अन्तर्गत दिखाया गया है।

स इस विवरण में 'उच्चत एवं विविध राशियों' में नकद शेष निवेश लेखा सम्मिलित नहीं है जिसको अलग से दर्शाया गया है।

द प्राप्तियों का व्यय से संचयी (Cumulative) अधिक या व्यय का प्राप्तियों से व्युत्प्रेषण अधिक, इस साल के राजस्व घाटा/राजस्व अधिक्य से गिन्ना है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(करोड़ ₹ में)

दायित्व	सन्दर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
	लेखों पर टिप्पणी	विवरण		
उधार (लोक ऋण)				
(i) आन्तरिक ऋण		15	1,36,57.01	1,24,42.26
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम आयोजनेत्तर ऋण		15	10.54	27.80
आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण		15	3,78.03	3,64.20
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्ज		15	0.05	0.05
केन्द्रीय पुनरोधित आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्ज		15	29.84	31.46
अन्य ऋण		15	0.53	0.53
आकस्मिक निधि (कुल)		18	85.00	85.00
लोक लेखे पर दायित्व				
(i) अल्प बचते, भविष्य निधियां आदि		18	29,53.45	18,87.43
(ii) निक्षेप		18	15,74.21	13,44.78
(iii) आरक्षित निधियां		18	9,23.42	9,07.66
(iv) प्रेषण शेष				..
(v) उचत और विविध शेष				..
प्राप्तियों का व्यय पर संचयी अधिक्य योग			1,96,12.08	1,70,91.17

निक्षेप में अग्रिम सम्मिलित है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

प्राप्तियां		(करोड़ ₹ में)			
		भुगतान			
	2009-10	2008-09		2009-10	2008-09
भाग-1 समेकित निधि					
खण्ड क राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	94,86.13	86,34.98	राजस्व व्यय	1,06,57.47	83,93.71
कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहित)	35,59.04	30,44.92	वेतन (अ)	43,88.11	30,44.65
आयोजनेत्तर कर राजस्व			उपादान	42.45	41.94
			अनुदान (ब) (स)	15,22.60	12,71.91
ब्याज प्राप्ति	53.71	68.49	सामान्य सेवाएं		
अन्य	5,78.15	6,30.95	ब्याज भुगतान व ऋण सेवा	13,87.97	12,42.51
योग	6,31.86	6,99.44	पेंशन	10,47.30	8,28.25
संघीय करों का अंश	15,50.01	15,06.59	अन्य	2,90.95	2,51.73
			योग	27,26.22	23,22.49
			सामाजिक सेवाएं	9,40.81	7,06.10
			आर्थिक सेवाएं	7,12.55	7,31.85
केन्द्र से अनुदान	37,45.22	33,84.03	स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेश	3,24.73	2,74.77
राजस्व घाटा	11,71.34	..	राजस्व आधिक्य	..	2,41.26
खण्ड ख पूंजीगत					
पूंजीगत प्राप्तियां	पूंजीगत व्यय	16,46.73	20,16.34
			वेतन	..	
			सामान्य सेवाएं	1,09.44	1,74.47
			सामाजिक सेवाएं	1,08.59	2,80.52
			आर्थिक सेवाएं	14,28.70	15,61.35
ऋण तथा अग्रिम वसूली	64.83	53.63	ऋण तथा अग्रिम वितरण	30.06	1,21.71
			सामान्य सेवाएं	..	3.54
			सामाजिक सेवाएं	..	2.73
			आर्थिक सेवाएं	28.66	1,12.71
			अन्य	1.40	2.73
लोक ऋण की प्राप्तियां	25,82.38	22,19.68	लोक कर्ज का पुनः भुगतान	13,72.68	10,31.24
आन्तरिक कर्ज (बाजार ऋण आदि)(द)	25,51.04	22,01.56	आन्तरिक कर्ज (बाजार ऋण	13,36.29	9,93.98
भारत सरकार से ऋण	31.34	18.12	आदि) भारत सरकार से ऋण	36.39	37.26
शुद्ध अन्तरराज्यीय समायोजन	शुद्ध अन्तरराज्यीय समायोजन
समेकित निधि की कुल प्राप्तियां	1,21,33.34	1,09,08.29	समेकित निधि की कुल व्यय	1,37,06.94	1,15,63.00
समेकित निधि में कमी	(-)15,73.60	(-)6,54.71	समेकित निधि में आधिक्य
भाग-2 आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	37.05	2.42	आकस्मिकता निधि	71.42	32.05

2. प्राप्तियों एवं सवितरणों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

प्राप्तियां			भुगतान		
	2009-10	2008-09		2009-10	2008-09

खण्ड 3 लोक लेखा (य)

अल्प बचतें	14,21.80	8,68.09	अल्प बचतें	3,55.78	3,36.76
संचय एवं ऋण शोधन निधि	51.71	1,68.83	संचय एवं ऋण शोधन निधि	84.57	65.26
जमायें	21,17.20	16,08.35	जमायें	18,87.82	15,47.46
अग्रिम	1,05.61	1,39.18	अग्रिम	1,05.57	1,38.98
उचंत एवं विविध	1,59,55.82	1,74,66.06	उचंत एवं विविध (र)	1,52,34.22	1,77,97.51
प्रेषण	11,42.34	30,26.60	प्रेषण	12,71.23	32,64.92
लोक लेखा की कुल प्राप्तियां	2,07,94.48	2,32,77.11	लोक लेखा का कुल भुगतान	1,89,39.19	2,31,50.89
लोक लेखा में कमी	लोक लेखा में अधिक्त्य	18,55.29	1,26.22
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	(-)4,84.08	(+)74.04	अन्तिम रोकड़ शेष	(-)2,36.76	(-)4,84.08
रोकड़ शेष में वृद्धि	2,47.32		रोकड़ शेष में कमी	..	5,58.12

- अ. वेतन, सब्सिडी एवं सहायक अनुदान के आंकड़ों को सभी खण्डों से एकीकृत किया गया है। इस विवरण में समाजिक, सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं के व्यय में वेतन, सब्सिडी तथा सहायक अनुदान सम्मिलित नहीं है। (विस्तृत जानकारी ब में)
- ब. सहायक अनुदान, सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्त इकाईयों तथा स्थानीय निकायों को दिया जाता है, जिसका ऊपर एकीकृत आंकड़ा दिया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को करों में क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, स्थानीय निकायों को शुल्क से भिन्न है जिसको अलग से दर्शाया गया है।
- स. सहायक अनुदान में लघु शीर्ष--"20-सहायक अनुदान/अंशदान तथा राज्य सहायता" सभी मुख्य शीर्षों से सम्मिलित है। मुख्य शीर्ष--3604, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन अलग से दर्शाया गया है।
- द. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में 1.4.2009 को ₹ 49,72,44.30 लाख की राशि थी जोकि बढ़कर 31. मार्च 2010 को ₹ 56,49,69.75 लाख हुई।
- य. ब्यौरे के लिए खण्ड-2 में विवरण संख्या-18 देखिए।
- र. 'उचंत एवं विविध' में 'अन्य लेखे' जैसे 8673 नकद शेष निवेश लेखा सम्मिलित है। इस कारण राशियां बढ़ी हुई लग रही है। कृपया ब्यौरे के लिए खण्ड-2 में विवरण संख्या-18 देखिए।

3. प्राप्तियों का विवरण

(i) समेकित निधि

		(करोड़ ₹ में)	
	वर्णन	2009-10	2008-09
क.	कर राजस्व		
क. 1	कर राजस्व	35,59.04	30,44.91
	भू-राजस्व	8.79	17.90
	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	3,98.70	3,57.46
	राज्य उत्पादक शुल्क	7,04.64	5,28.35
	बिक्री कर	22,46.84	19,10.64
	वाहन कर	1,84.56	1,66.98
	अन्य	15.51	63.58
क. 2	करों की शुद्ध समनुदेशित का भाग	15,50.01	15,06.59
	निगम कर	6,37.85	4,93.95
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	3,55.31	3,10.17
	सम्पत्ति कर	1.44	0.50
	सीमा शुल्क	2,16.92	2,87.97
	संघ उत्पाद शुल्क	1,74.73	2,51.18
	सेवा कर	1,63.76	1,62.82
	योग क	51,09.05	45,51.50

3. प्राप्तियों का विवरण

(करोड़ ₹ में)			
ख	करेत्तर राजस्व	2009-10	2008-09
0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	2,35.70	2,07.16
0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	74.08	63.73
0801	बिजली	56.13	1,71.37
0049	ब्याज प्राप्तियां	53.71	68.49
0071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान तथा वसूली	37.43	27.21
0202	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	34.18	28.66
0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	21.18	28.09
0059	लोक निर्माण कार्य	19.50	15.53
0250	अन्य सामाजिक सेवाएं	16.07	7.05
0075	विविध सामान्य सेवाएं	14.41	20.60
0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	11.73	6.84
0055	पुलिस	9.62	7.01
0515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	7.26	2.08
0701	मध्यम सिंचाई	6.98	7.57
0401	फसल कृषि-क्रम	4.55	3.62
0403	पशुपालन	4.23	1.51
0217	शहरी विकास	3.98	11.11
1475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2.52	2.32
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2.49	0.94
0230	श्रम तथा रोजगार	2.30	1.82
0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	2.22	0.86
0425	सहकारिता	1.78	3.19

3. प्राप्तियों का विवरण

		(करोड़ ₹ में)	
(ब)	करेत्तर राजस्व	2009-10	2008-09
0702	लघु सिंचाई	1.77	1.46
0216	आवास	1.60	1.61
0056	जेल	1.34	0.68
1054	सड़क तथा सेतु	1.24	1.39
0404	डेरी विकास	0.70	0.32
0051	लोक सेवा आयोग	0.68	1.07
0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.53	0.61
1452	पर्यटन	0.42	3.18
0852	उद्योग	0.34	0.75
0215	जलपूर्ति तथा सफाई	0.31	0.08
1456	सिविल आपूर्ति	0.25	0.23
1055	सड़क यातायात	0.13	0.50
1053	नगर विमानन	0.13	0.28
0405	मछली पालन	0.12	0.06
0700	मुख्य सिंचाई	0.09	0.07
0050	लामांश तथा लाभ	0.07	0.24
0211	परिवार कल्याण	0.02	0.02
0047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.02	..
0220	सूचना तथा प्रचार	0.02	0.02
0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.01	0.08
0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.01	0.02
0551	पहाड़ी क्षेत्र	0.01	0.01
	योग ब	6,31.86	6,99.44

3. प्राप्तियों का विवरण

(ii) भारत सरकार से अनुदान

ग	विवरण	वास्तविक	
		2009-10	2008-09
	अनुदान		
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	37,45.22	33,84.03
	आयोजनेत्तर अनुदान	11,82.95	12,69.68
	संविधान के अन्तर्गत अनुदान (राजस्व आदेश का वितरण)	9,86.20	10,81.29
	प्राकृतिक आपदा राहत निधि में अंशदान हेतु अनुदान	76.39	1,12.47
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	40.57	--
	अन्य अनुदान	79.79	75.92
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	23,34.66	19,05.93
	एकमुश्त (ब्लाक) अनुदान	21,65.37	18,95.43
	संविधान के अनुच्छेद 275 (I) के अन्तर्गत अनुदान	89.22	0.20
	अन्य अनुदान	80.07	10.30
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान	11.08	7.97
	केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	2,16.53	2,00.45
	योग ग	37,45.22	33,84.03
	योग-राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)	94,86.13	86,34.98

3. प्राप्तियों का विवरण

(iii) पूंजी, लोक ऋण एवं अन्य प्राप्तियां

वर्णन	वास्तविक	
	2009-10	2008-09
घ		
पूंजी प्राप्ति
विनिवेश आयत
अन्य
योग घ
इ		
लोक ऋण प्राप्ति	25,82.38	22,19.68
आन्तरिक ऋण	25,51.04	22,01.56
बाजार ऋण	6,00.00	10,10.69
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (i)	9,69.27	8,02.49
बॉन्ड्स
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2,05.02	1,99.40
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को विशेष सुरक्षा प्रदान करना	7,76.75	1,88.98
अन्य ऋण
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	31.34	18.12
आयोजनेत्तर ऋण	0.09	0.23
राज्य आयोजनागत योजना हेतु ऋण	31.25	17.89
केन्द्र आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण
केन्द्रीयकृत समनुदेशित योजनाओं के लिए ऋण
अन्य ऋण
योग इ	25,82.38	22,19.68
च. राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम (वसूलिया (ii))	64.83	53.63
छ. अंतरराज्यीय परिशोधन लेखा
समेकित निधि की कुल प्राप्तियां (क, ख, ग, घ, इ व च)	1,21,33.34	1,09,08.28

(i) अर्थोपाय अग्रिम

(ii) विस्तृत विवरण, विवरण संख्या 7 और 16 खण्ड-2

4- व्यय का विवरण
(समेकित निधि)

क. व्यय क्रियाकलाप से

(करोड़ ₹ में)

क	व्याख्या	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
क. 1	सामान्य सेवा				
	राज्य के अंग				
	संसद / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	12.93	12.93
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति / राज्यपाल / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	3.48	3.48
	मंत्रीपरिषद्	32.90	32.90
	न्याय प्रशासन	60.33	60.33
	निर्वाचन	24.21	24.21
क. 2	राजकोषीय सेवाएं
	भू राजस्व	92.47	92.47
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	14.85	14.85
	राज्य उत्पादक शुल्क	7.51	7.51
	विक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	32.33	32.33
	वाहन कर	0.17	0.17
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1.79	1.79
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	2.99	2.99
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए				
	विनियोजन	50.00	50.00
	ब्याज अदायगियां	13,37.97	13,37.97
क. 3	प्रशासनिक सेवाएं				
	लोक सेवा आयोग	5.08	5.08
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	57.62	57.62
	जिला प्रशासन	57.69	57.69
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	34.16	34.16
	पुलिस	5,36.06	11.54	..	5,47.60
	जेल	18.00	18.00
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	7.88	0.23	..	8.11
	लोक निर्माण-कार्य	2,24.75	97.67	..	3,22.42
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	24.99	24.99
क. 4	पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं				
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	10,47.30	10,47.30
	विविध सामान्य सेवाएं	6.88	6.88
	कुल सामान्य सेवाएं	36,94.34	1,09.44	..	38,03.78

4- व्यय का विवरण
(समेकित निधि)

क. व्यय क्रियाकलाप से

(करोड़ ₹ में)

	व्यय शीर्ष	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ख	सामाजिक सेवाएं				
ख. 1	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (विवरण के नीचे नोट-1 देखें)				
	सामान्य शिक्षा (*)	28,61.52	28,61.52
	तकनीकी शिक्षा (*)	55.01	55.01
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं (*)	26.12	26.12
	कला एवं संस्कृति (*)	8.55	53.05	..	61.60
ख. 2	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण				
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4,30.19	38.03	..	4,68.22
	परिवार कल्याण	49.83	3.83	..	53.66
ख. 3	जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास				
	जलपूर्ति तथा सफाई	3,34.22	3,34.22
	आवास	1.60	5.01	..	6.61
	शहरी विकास	5,54.77	5,54.77
ख. 4	सूचना तथा प्रसारण				
	सूचना तथा प्रसार	21.00	21.00
ख. 5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,36.21	6.17	..	1,42.38
ख. 6	श्रमिक तथा श्रम कल्याण				
	श्रम तथा रोजगार	42.97	42.97
ख. 7	समाज कल्याण तथा पोषण				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,91.04	2.51	..	2,93.55
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,48.77	1,48.77
ख. 8	अन्य				
	अन्य सामाजिक सेवाएं	18.46	0.00	..	18.46
	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	0.01	0.01
	कुल सामाजिक सेवाएं	49,80.27	1,08.60		50,88.87
ग	आर्थिक सेवाएं				
ग. 1	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप				
	फसल कृषि क्रम	2,93.80	(-)7.79	0.02	2,86.03
	मृदा तथा जल संरक्षण	1.68	1.68
	पशुपालन	67.12	4.47	..	71.59
	डैरी विकास	14.76	14.76
	मछली पालन	4.72	1.45	..	6.17
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	2,73.73	13.39	..	2,87.13
	वागानी	0.50	0.50
	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	18.87	63.90	..	82.77
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	65.97	65.97
	सहकारिता	28.70	(-)2.89	4.30	30.11

* मुख्य लेखा शीर्ष 4202 पूँजीगत लेखा शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति के लिए एक ही लेखा शीर्ष है।

(12)

4- व्यय का विवरण
(समेकित निधि)

क. व्यय की क्रिया

(करोड़ ₹ में)

	व्यय शीर्ष	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ग. 2	ग्राम विकास				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	49.27	49.27
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	3,29.26	70.61	..	3,99.87
ग. 3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
	पहाड़ी क्षेत्र				
	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम				
ग. 4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण				
	मुख्य सिंचाई	1,75.21	2,03.43		3,78.64
	मध्यम सिंचाई	12.02	1.99		14.01
	लघु सिंचाई	60.23	56.59		1,16.82
	कमान क्षेत्र विकास	4.19			4.19
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	3.50	5.10		8.60
ग. 5	ऊर्जा				
	विजली	4.01	6,61.95	24.32	6,90.28
	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	12.35			12.35
ग. 6	उद्योग तथा खनिज				
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	28.15	1.35		29.5
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	4.41			4.41
	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग		5.78		5.78
	उद्योग तथा खनिज		(-)490.00		(-)4,90.00
ग. 7	परिवहन				
	नगर विमानन	4.23	2.62		6.85
	सड़क तथा सेतु	1,56.13	7,85.05		9,41.18
	सड़क परिवहन	11.48	22.59		34.07
ग. 8	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी				
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3.30			3.30
ग. 9	सामान्य आर्थिक सेवाएं				
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1.96			1.96
	पर्यटन	16.85	29.11		45.96
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	8.32*			8.32*
	सिविल पूर्ति	1.94			1.94
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.46			1.46
	कुल आर्थिक सेवाएं	16,58.12	14,28.70	28.64	31,15.46
घ.	ऋण, अनुदान तथा अंशदान				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	3,24.73			3,24.73
ङ.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि				
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम			1.31	1.31
	विविध ऋण			0.10	0.10
च.	लोक ऋण				
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		13,36.29		13,36.29
	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		36.39		36.39
छ.	अन्तरराज्य समाशोधन लेखा				
	कुल सीएफआई व्यय	1,06,57.47	30,19.41	30.06	1,37,06.94

4-व्यय का विवरण (समेकित निधि)

ब. व्यय का स्वरूप

(करोड़ ₹ में)

व्यय के माध्यम	2009-10		
	राजस्व	पूजीगत	योग
01 - वेतन	34,92.69 *	..	34,92.69
20 - अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता	18,47.33	..	18,47.33
32 - ब्याज/लाभांश	13,37.97	..	13,37.97
33 - पेंशन/मुआवजा	10,45.35	..	10,45.35
03 - महंगाई भत्ता	6,75.75 *	..	6,75.75
42 - अन्य व्यय	5,78.47	47.20	6,25.67
43 - वेतन/भत्ते आदि के लिये सहायता अनुदान	4,19.33	..	4,19.33
06 - अन्य भत्ते	2,58.75	..	2,58.75
29 - अनुरक्षण	1,67.88	..	1,67.88
24 - वृद्धत निर्माण कार्य	1,14.84	8,81.66	9,96.50
21 - छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	1,04.31	..	1,04.31
02 - मजदूरी	72.90	..	72.90
07 - मानदेय	59.36	..	59.36
35 - अर्न्तलेखा संक्रमण	50.00	..	50.00
50 - सहायता	42.45	..	42.45
09 - विद्युत देय	37.44	..	37.44
08 - कार्यालय व्यय	36.79	..	36.79
04 - यात्रा व्यय	34.30	..	34.30
26 - उपकरण और संयंत्र	36.38	..	36.38
31 - सामग्री और आपूर्ति	31.37	56.00	87.37
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	28.00	..	28.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	27.71	..	27.71
25 - लघु निर्माण कार्य	25.93	..	25.93
39 - औषधि तथा रसायन	20.05	..	20.05
48 - महंगाई वेतन	12.37 *	..	12.37
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.46	..	10.46
14 - कार्यालय स्टाफ	10.35	..	10.35
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	10.23	..	10.23
30 - निवेश/ऋण	..	6,60.06	6,60.06
19 - विज्ञापन और बिक्री व्यय
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण
00 - अन्य	68.71	1.81	70.52
योग -	1,06,57.47	16,46.73	1,23,04.20

रुपये 51,45.18 लाख अवकाश नकदीकरण के सम्मिलित है।

4-व्यय का विवरण (समेकित निधि)

ब. व्यय का स्वरूप

(करोड़ ₹ में)

2008-09			2007-08		
राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
18,78.67	..	18,78.67	10,94.38	..	10,94.38
15.46.69	10.85	15,57.54	15,65.12	..	15,65.12
11,87.51	..	11,87.51	10,95.94	..	10,95.94
8,53.93	..	8,53.93	6,34.84	..	6,34.84
6,62.34	..	6,62.34	5,68.21	..	5,68.21
4,97.66	52.69	5,50.35	5,10.17	63.71	5,73.88
2,57.38	..	2,57.38	2,14.65	..	2,14.65
1,15.02	..	1,15.02	1,12.04	..	1,12.04
1,66.28	..	1,66.28	1,65.77	..	1,65.77
1,42.32	17,46.54	18,88.86	1,52.76	18,87.35	20,40.11
93.30	..	93.30	85.71	..	85.71
61.78	..	61.78	61.37	..	61.37
44.03	..	44.03	35.66	..	35.66
66.82	..	66.82	93.50	..	93.50
41.94	..	41.94
32.16	..	32.16	28.46	..	28.46
25.08	..	25.08	26.79	..	26.79
31.02	..	31.02	30.30	..	30.30
43.57	..	43.57	46.93	..	46.93
31.24	28.02	59.26	69.95	23.51	93.46
25.63	..	25.63	23.79	..	23.79
21.17	..	21.17	12.53	..	12.53
30.00	..	30.00	29.93	..	29.93
17.41	..	17.41	16.07	..	16.07
4,22.92	..	4,22.92	4,82.11	..	4,82.11
..	10.19	..	10.19
11.19	..	11.19	10.40	..	10.40
10.61	..	10.61
..	1,70.29	1,70.29	..	2,47.14	2,47.14
11.01	..	11.01
..	11.56	..	11.56
65.03	7.95	72.98	65.42	13.11	78.53
83,93.71	20,16.34	1,04,10.04	72,54.55	22,34.82	94,89.37

लेखों पर टिप्पणियां

1. लेखा नीति का आवश्यक सारांश।

(i) **लेखा अवधि एवं इसके आवश्यक तत्व:** ये लेखे उत्तराखण्ड सरकार के 01-04-2009 से 31-03-2010 तक की अवधि के लेनदेनों को प्रदर्शित करते हैं।

(ii) **लेखों का आधार:** ये लेखे कुछ पुस्तकीय समायोजनों के अपवाद के साथ लेखा अवधि के वास्तविक प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। परिसम्पतियों एवं सरकार के विनियमों आदि का मूल लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। मौलिक परिसम्पतियों को ह्रासित एवं अवमूल्यित नहीं किया जाता है। मौलिक परिसम्पतियों की समय सीमा की समाप्ति पर इनके मूल्यों को भी नहीं आँका जाता है।

सरकार के पेंशन दायित्व जो कि कर्मचारियों के पूर्व तथा वर्तमान सेवाओं के सेवानिवृत्ति लाभों से सम्बन्धित हैं, को लेखे में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, सेवानिवृत्त लाभ जो कि लेखे के दौरान वितरित किए गए हैं लेखे में प्रदर्शित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों पर किया गया व्यय ₹ 10,47.30 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 9.83%) था। यद्यपि, माह अक्टूबर 2005 से नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों के अंशदान तथा नियोक्ता का अंश ₹ 95.60 करोड़ शीर्ष 8342-अन्य निक्षेप-117-परिभाषित पेंशन योजना अंशदान के अन्तर्गत जमा किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2010 को इस मद में राज्य सरकार का दायित्व ₹ 1,68.37 करोड़ रहा।

(iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं:** सरकार के लेखे भारतीय ₹ में प्रदर्शित किए जाते हैं।

(iv) **लेखों का स्वरूप:** संविधान के अनुच्छेद, 150 के अन्तर्गत संघ एवं राज्यों के लेखे ऐसे प्रारूप में जैसे कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करे, रखे जाते हैं। अनुच्छेद, 150 में प्रयुक्त शब्द "प्रारूप" (Form) का एक विशिष्ट तात्पर्य है जिसके अन्तर्गत न केवल विस्तृत स्वरूप जिनमें लेखे रखे जाते हैं बल्कि लेनदेनों के वर्गीकरण हेतु उपयुक्त शीर्षों का चुनाव भी शामिल है।

(v) **राजस्व एवं पूंजीगत का वर्गीकरण:** राजस्व व्यय आवृतक प्रकृति के होते हैं जो राजस्व प्राप्ति से पूरित होते हैं। पूंजीगत परिव्यय स्थायी प्रकार की परिसम्पतियों को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से किए जाने वाले व्यय के रूप में परिभाषित हैं। सहायक अनुदानों के व्यय को अनुदान दाता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है। प्राप्त कर्ता के लेखों में इसको राजस्व प्राप्ति के रूप में लिया जाता है।

2. विवरणों को सम्मिलित किए जाने की स्थिति/वित्त लेखे में बारहवें वित्त आयोग द्वारा सस्तुत सूचनाएँ:

बारहवें वित्त आयोग ने वित्त लेखे में आठ नए विवरणों को सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। इन आठ विवरणों में से तीन विवरण अब भी वित्त लेखे में सम्मिलित किए जाने शेष हैं। इनमें से दो विवरण (i) तथा (ii) निम्नवत पुनरीक्षित किए जा रहे हैं। इन विवरणों से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। विवरण निम्न है—

(i) भविष्य में होने वाले दायित्वों के आँकड़े,

(ii) वेतन एवं गैर वेतन व्यय को पृथक रूप से प्रदर्शित करना एवं

(iii) वर्ष के दौरान सरकार द्वारा वृहत नीति निर्धारण हेतु लिए गए निर्णयों को लागू करना अथवा भविष्य में रोकड़ प्राप्ति हेतु नई योजनाओं को बजट में प्रस्तावित करना।

3. **मुख्य लेखा शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियां' एवं 'अन्य व्यय'** राजस्व लेखों में 40 मुख्य लेखा शीर्ष जो कि सरकार के क्रिया कलापों को प्रदर्शित करते हैं के अन्तर्गत ₹ 12,63.35 करोड़ जो कुल राजस्व व्यय का 11.85 प्रतिशत है को लघुशीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार 44 मुख्य लेखा शीर्ष जो कि सरकार के क्रिया कलापों को प्रदर्शित करते हैं के अन्तर्गत ₹ 10,75.99 करोड़ जो कुल प्राप्ति का 11.34 प्रतिशत है को 800-लघुशीर्ष-अन्य प्राप्ति अंकित कर लेखांकित किया गया है। लेखों में नौ मुख्य लेखाशीर्षों के अन्तर्गत व्यय की अधिकांश धनराशि अन्य व्यय में पुस्तांकित की गई है। इसी प्रकार प्राप्ति के संबन्ध में 27 मुख्य लेखाशीर्षों में भी पुस्तांकित किया गया है। इस प्रकार वित्त लेखे में वृहद योजनाओं को पृथक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। यद्यपि, विनियोग लेखे जो कि राज्य सरकार के लेखे के भाग के रूप में निर्मित होते हैं, में इन व्ययों को सुसंगत लेखा शीर्षों के अन्तर्गत उपशीर्ष (योजना) स्तर पर अथवा अनुदान की विस्तृत मांग के नीचे प्रदर्शित किया गया है। वित्तीय सूचना की उच्च पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह निश्चित शीर्षों/योजनाओं में बजट प्रदान करें।
4. **ए0सी0 बिलों का असमायोजित रहना:** आहरण वितरण अधिकारियों को ए0सी0 बिलों के माध्यम से, संबन्धित सेवा शीर्ष को डेबिट करते हुए धनराशि आहरित करने के लिए अधिकृत किया गया है, उनको चाहिए कि इन सभी मामलों में विस्तृत आकस्मिक व्यय विवरण तैयार कर (अन्तिम व्यय के समर्थन में वाउचर संलग्न करते हुए) निर्धारित अवधि में समायोजन कर दें। वर्तमान में ₹ 2.50 करोड़ की राशि के 56 डी0सी0 बिल अभी तक महालेखाकार कार्यालय में अप्राप्त/असमायोजित हैं।
5. **प्राप्ति एवं व्ययों का मिलान:** सभी नियन्त्रण अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने प्राप्ति एवं व्ययों के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार के आंकड़ों से कर लें, परन्तु मिलान कार्य मात्र 63 प्रतिशत नियन्त्रण अधिकारियों के स्तर से ही पूरा किया गया है जो राज्य सरकार के कुल व्यय ₹ 1,23,04.20 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 59,08.62 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत) का ही मिलान किया गया, जबकि कुल प्राप्ति ₹ 94,86.13 करोड़ के सापेक्ष ₹ 78,55.41 करोड़ मिलान किया गया जो कि कुल प्राप्ति का 82.81 प्रतिशत है।
6. **नकदी अवशेष:** महालेखाकार कार्यालय द्वारा आगणित नकदी अवशेष ₹ 4,70.84 करोड़ (क्रेडिट) था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च को अधिसूचित नकद अवशेष ₹ 5,47.58 करोड़ (डेबिट) था। दोनों आंकड़ों में ₹ 76.64 करोड़ का अन्तर पाया गया है। अन्तर का मुख्य कारण राज्य कोषागारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों में भिन्नता होना है जिसमें से ₹ 49.74 करोड़ की भिन्नता वाले मदों का मिलान कर लिया गया है जिन्हे वर्ष 2010-11 के लेखों में सम्मिलित किया जायेगा।
7. **बचनबद्धताएँ:** विवरण सं0 9 में दर्शायी गई प्रतिभूतियां राज्य सरकार द्वारा (बजट साहित्य) उपलब्ध कारायी गयी सूचना पर आधारित है, राज्य सरकार ऐसी गारन्टी जारी करने के लिए अधिकृत है। पाया गया है कि ₹ 25 करोड़ प्रतिभूति विमोचन कोष को अन्तरित किया गया है, जबकि कोष से किया गया भुगतान शुन्य है।

8. ऋण एवं निवेश: ऋण एवं निवेशों के विस्तृत लेखों का रख रखाव राज्य सरकार के विभागों द्वारा किया जाता है, इस संबंध में पूर्ण सूचना प्राप्त करने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।
9. उच्चन्त शेष: वित्तीय लेखों में उच्चन्त एवं प्रेषण शीर्षों के निबल शेष दर्शाये जाते हैं उक्त शीर्षों के असमायोजित शेषों के डेबिट एवं क्रेडिट के सकल शेषों को जोड़कर पृथक-पृथक सम्बन्धित शीर्षों में आगणित कर दर्शाया जाता है। मुख्य शीर्ष उच्चन्त की पिछले तीन वर्षों की सकल राशि की स्थिति निम्नवत् है-

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2007-08		2008-09		2009-10	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101-वेतन तथा लेखा कार्यालय उच्चन्त	(-)2.12	(-)0.01	5.25	0.03	3.18	(-)1.79
निबल	(जमा) 2.11		(नामे) 5.22		(नामे) 4.97	
102-उच्चन्त लेखा (सिविल)	1.29	9.41	(-) 95.05	5.04	(-) 1,18.65	1.67
निबल	(जमा)8.12		(जमा)1,00.09		(जमा)1,20.32	
107-नकद समायोजन उच्चन्त लेखा	—	0.03	—	0.03	—	—
निबल	(जमा) 0.2		(जमा) 0.03		—	
109-रिजर्व बैंक मुख्यालय उच्चन्त	0.09	0.00	—	0.44	—	(-)0.44
निबल	(नामे) 0.09		(जमा) 0.44		(नामे) 0.44	
110-रिजर्व बैंक उच्चन्त केलेले कार्यालय	0.00	0.00	1.43	—	(-) 5,73.51	—
निबल	(जमा) 0.00		(नामे) 1.43		(जमा)5,73.51	
112-टीडीएस उच्चन्त	—	6.02	—	10.03	4.65	32.60
निबल	(जमा) 6.02		(जमा) 10.03		(जमा) 27.95	
113-भविष्य निधि उच्चन्त	16.35	5.08	5.66	7.95	0.31	0.20
निबल	(नामे) 11.27		(जमा)2.29		(नामे) 0.11	
117-रिजर्व बैंक के वास्ते लेनदेन	0.34	16.69	0.60	0.00	0.25	—
निबल	(जमा) 16.35		(नामे) 0.60		(नामे) 0.25	

123-अ0भा0से0 के अधिकारियों का समूह बीमा	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04
निबल	(जमा) 0.01		(जमा) 0.01		(जमा) 0.01	
129-वस्तु क्रय समायोजन उच्चन्त लेखा		(-)0.03	---	---	---	---
निबल	(नामे) 0.03		---		---	

उक्त शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित अवशेषों के निस्तारण हेतु सतत प्रयास जारी है। यद्यपि, उच्चन्त एवं प्रेषण शेषों में लम्बित मदों का निस्तारण सरकारी विभागों/ निर्माण एवं वन प्रखण्डों/ भारतीय रिजर्व बैंक/ केन्द्रीय मंत्रालय तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करता है।

10. **आकस्मिकता निधि:** आकस्मिकता निधि में ₹ 84.25 करोड़ वर्ष के अन्त तक असमायोजित पड़ी हैं।
11. **अन्य निधियां:** राज्य सरकार, राज्य/जिला स्तर की स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं प्राधिकरणों, सोसईटी बगैर सरकारी संगठनों आदि को केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं (राज्य का हिस्सा) एवं राज्य सरकार, की योजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराती है। क्योंकि निधियों का उपयोग इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में सामान्यतः पूर्ण रूप में नहीं किया जाता है अतः इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोग में न लायी गई सकल राशि (बैंक में) रख दी जाती है जो आसानी से पता नहीं की जा सकती है। इस प्रकार सरकारी व्यय जिस सीमा तक लेखे में दर्शाया गया अन्तिम नहीं है।
12. **आपत्तिगत बही उचन्त:** प्राप्ति एवं व्यय की मदें जो त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण या अपूर्ण विवरण के कारण जो लेखे के अन्तिम शीर्ष में नहीं ली जा सकी उन्हे मुख्य लेखाशीर्ष 8658-उच्चन्त लेखे, लघु शीर्ष 102-उच्चन्त सिविल के अन्तर्गत आपत्तिगत बही उच्चन्त में पुस्तांकित कर दिया जाता है। यह मदें जब भी उच्चन्त से निस्तारित होती है इन्हे वास्तविक लेखाशीर्ष में पुस्तांकित कर दिया जाता है। वर्ष 2000 से वर्ष 2007 तक के ₹ 83.95 करोड़ के आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन हुआ है। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के कोई आपत्तिगत बही उचन्त शेष नहीं हैं। इस धनराशि में ₹ 81.81 करोड़ राजस्व व्यय, ₹ 0.90 करोड़ पूंजीगत व्यय एवं ₹ 1.24 करोड़ ऋण एवं अग्रिम के समायोजित हुए हैं। ₹ 81.81 करोड़ राजस्व व्यय के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन के फलस्वरूप राजस्व घाटे में बढ़ोतरी हुई जो कि ₹ 1171.34 करोड़ हो गई।
13. **लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र**
लम्बित उपयोगित प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत् है:

वर्ष	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	सम्बद्ध धनराशि (करोड़ ₹ में)
2007-08	168	90.00
2008-09	314	1,37.00
2009-10	305	2,03.00

बही समायोजन

"अ" मियादी समायोजन		(करोड़ ₹ में)			
क्र.स.	बही समायोजन	लेखों के शीर्ष	को	राशि	टिप्पणी
	से				
1.	2049- ब्याज भुगतान	8009-	सामान्य भविष्य निधि	1,86.63	भविष्य निधि पर देय ब्याज
2.	6004- केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	0075-	विविध सामान्य सेवाएँ	3.68	भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई ऋण राहत
3.	2048. ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	8222.	ऋण शोधन निधि	50.00	समेकित निधि से ऋण शोधन निधि में स्थानान्तरण
4.	(*) राजस्व व्यय	8009-	सामान्य भविष्य निधि	7,93.52	भविष्य निधि में अंशदान
5.	(*) राजस्व व्यय	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	7.85	ऋणों की वसूली
(*) विस्तृत ब्यौरे के लिए पृष्ठ संख्या 19 से 21 तक देखिए					
1	2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.91	भविष्य निधि में अंशदान
2	2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.32	
3	2014- न्याय प्रशासन	8009-	सामान्य भविष्य निधि	7.34	
4	2015- निर्वाचन	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.39	
5	2029- भू-राजस्व	8009-	सामान्य भविष्य निधि	9.20	
6	2030- स्टाम्प पंजीकरण	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.46	
7	2039- राज्य उत्पाद शुल्क	8009-	सामान्य भविष्य निधि	1.00	
8	2040- बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	8009-	सामान्य भविष्य निधि	3.16	
10	2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.34	
11	2047- अन्य राजकोषीय सेवाएँ	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.44	
12	2051- लोक सेवा आयोग	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.38	
13	2052- सचिवालय सामान्य सेवाएँ	8009-	सामान्य भविष्य निधि	6.66	
14	2053- जिला प्रशासन	8009-	सामान्य भविष्य निधि	7.18	
15	2054- कोषागार एवं लेखा प्रशासन	8009-	सामान्य भविष्य निधि	7.63	
16	2055- पुलिस	8009-	सामान्य भविष्य निधि	18.78	
17	2056- जेल	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.48	
18	2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण	8009-	सामान्य भविष्य निधि	1.31	
19	2059- लोक निर्माण कार्य	8009-	सामान्य भविष्य निधि	17.38	
20	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	8009-	सामान्य भविष्य निधि	1.21	
21	2202- सामान्य शिक्षा	8009-	सामान्य भविष्य निधि	5,30.66	
22	2203- तकनीकी शिक्षा	8009-	सामान्य भविष्य निधि	4.82	
23	2204- खेलकूद तथा युवा सेवाओं	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.92	
24	2205- कला एवं संस्कृति	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.55	
25	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	8009-	सामान्य भविष्य निधि	37.99	
26	2211- परिवार कल्याण	8009-	सामान्य भविष्य निधि	6.08	
27	2217- शहरी विकास	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.90	
28	2220- सूचना तथा प्रचार	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.85	

बही समायोजन

"अ" भियादी समायोजन

(करोड़ ₹ में)

क्र.स.	बही समायोजन	लेखों के शीर्ष से	को	राशि	टिप्पणी
29	2225-	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8009-	सामान्य भविष्य निधि	2.49
30	2230-	श्रम एवं रोजगार	8009-	सामान्य भविष्य निधि	6.25
31	2235-	सामाजिक कल्याण तथा पोषण	8009-	सामान्य भविष्य निधि	3.61
32	2401-	फसल कृषि कर्म	8009-	सामान्य भविष्य निधि	22.09
33	2403-	पशुपालन	8009-	सामान्य भविष्य निधि	6.46
34	2404-	डेरी विकास	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.34
35	2405-	मत्स्य पालन	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.19
36	2406-	वानिकी एवं वन्य प्राणी	8009-	सामान्य भविष्य निधि	19.25
37	2408-	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार	8009-	सामान्य भविष्य निधि	2.96
38	2415-	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.04
39	2425-	सहकारिता	8009-	सामान्य भविष्य निधि	1.47
40	2515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8009-	सामान्य भविष्य निधि	27.49
41	2551-	पहाड़ी क्षेत्र	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.02
42	2575-	अन्य विशेष क्षेत्र विकास	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.29
43	2700-	मुख्य सिंचाई	8009-	सामान्य भविष्य निधि	25.42
44	2701-	मध्यम सिंचाई	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.04
45	2702-	लघु सिंचाई	8009-	सामान्य भविष्य निधि	1.40
46	2851-	ग्राम एवं लघु उद्योग	8009-	सामान्य भविष्य निधि	2.15
47	2853-	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.37
48	3053-	नागर विमानन	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.08
49	3055-	सड़क परिवहन	8009-	सामान्य भविष्य निधि	1.05
50	3451-	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.16
51	3452-	पर्यटन	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.89
52	3454-	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	8009-	सामान्य भविष्य निधि	1.33
53	3456-	सिविल आपूर्ति	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.22
54	3475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	8009-	सामान्य भविष्य निधि	0.12
55	2011-	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.06
56	2014-	न्याय प्रशासन	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.10
57	2015-	निर्वाचन	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.02
58	2029-	भू-राजस्व	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.57
59	2039-	राज्य उत्पाद शुल्क	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.07
60	2040-	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.08
61	2045-	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.03
62	2047-	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.06
63	2052-	सचिवालय सामान्य सेवाएँ	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.42
64	2053-	जिला प्रशासन	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.76
65	2054-	कोषागार एवं लेखा प्रशासन	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.35
66	2055-	पुलिस	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.10
67	2059-	लोक निर्माण कार्य	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.44
68	2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.02
69	2071-	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.08

ऋणों की वसूली

बही समायोजन

"अ" मियादी समायोजन

(करोड़ ₹ में)

क्र.स.	बही समायोजन	लेखों के शीर्ष		राशि	टिप्पणी
		से	को		
70	2202-	सामान्य शिक्षा	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.37
71	2203-	तकनीकी शिक्षा	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.08
72	2204-	खेलकूद तथा युवा सेवाओं	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.09
73	2205-	कला एवं संस्कृति	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.06
74	2210-	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.27
75	2217-	शहरी विकास	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.19
76	2220-	सूचना तथा प्रचार	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.01
77	2225-	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.12
78	2230-	श्रम तथा रोजगार	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.06
79	2235-	सामाजिक कल्याण तथा पोषण	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.07
80	2401-	फसल कृषि कर्म	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.40
81	2405-	मत्स्य पालन	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.08
82	2406-	वानिकी एवं वन्य प्राणी	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	1.13
83	2408-	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.03
84	2425-	सहकारिता	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	1.00
85	2515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.27
86	2700-	मुख्य सिंचाई	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.08
87	2702-	लघु सिंचाई	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.05
88	2851-	ग्राम एवं लघु उद्योग	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.13
89	2853-	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.12
90	3451-	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.02
91	3452-	पर्यटन	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.02
92	3454-	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	7610-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.03

मुख्य लेखा शीर्ष जहां अधिकांश व्यय/प्राप्तियां अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों में वर्गीकृत है

व्यय (राजस्व)

(करोड़ ₹ में)

लेखे का मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2041- वाहन कर	0.17	0.17	100.00
2075- विविध सामान्य सेवाएँ	6.89	6.89	100.00
2217- शहरी विकास	5,54.77	5,02.48	90.57
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,84.63	1,84.63	100.00
2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	18.46	18.46	100.00
2407- बागान	0.50	0.50	100.00
2501- ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	49.27	47.43	96.26
2705- कमान क्षेत्र विकास	4.19	4.19	100.00
2801- विद्युत	4.01	4.01	100.00

प्राप्तियां (राजस्व)

0023- होटल प्राप्ति कर	7.13	7.13	100.00
0030- स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	3,98.70	3,98.70	100.00
0056- कारागार	1.34	1.34	100.00
0059- लोक निर्माण कार्य	19.50	18.59	95.33
0210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	11.73	11.73	100.00
0217- शहरी विकास	3.98	3.98	100.00
0235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2.49	2.49	100.00
0250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	16.07	14.51	90.29
0401- फसल कृषि कर	4.55	4.50	98.90
0403- पशुपालन	4.23	4.19	99.05
0406- वानिकी एवं वन्य जीव	2,35.70	2,34.08	99.31
0801- विद्युत	56.13	56.13	100.00
0851- ग्राम एवं लघु उद्योग	0.53	0.48	90.57
0852- उद्योग	0.34	0.34	100.00
1452- पर्यटन	0.42	0.42	100.00

(i)

परिशिष्ट - 1
रोकड़ प्रवाह विवरण

		(करोड़ ₹ में)	
क	सामान्य रोकड़ शेष:	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
	1. कोषागारों में शेष	0.00	0.00
	2. रिजर्व बैंक में जमा	(-) 2,27.84	(-)4,70.84
	3. स्थानीय प्रेषण	(-) 8.92	(-) 13.25
	योग (1 से 3)	(-) 2,36.76	(-) 4,84.09
	4. रोकड़ शेष निवेश लेख
	योग (क)	(-) 2,36.76	(-) 4,84.09
ख	अन्य रोकड़ शेष व विनियोग		
	1. विभागीय रोकड़ शेष	(-) 2.11	(-) 2.11
	2. आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय स्थाई अग्रिम	(-) 0.87	(-) 0.87
	उद्दिष्ट निधि के आलावा विनियता	7,78.65	7,30.03
	योग (ख)	7,75.67	7,27.05
	योग (क) एवं (ख)	5,38.91	2,42.96

(ii)

परिशिष्ट - 1
रोकड़ प्रवाह विवरण

व्याख्यायित टिप्पणियां

क) रोकड़ एवं रोकड़ समान:

रोकड़ एवं रोकड़ समान में कोषागारों में रोकड़ तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंको में जमा एवं प्रेषण जैसा कि ऊपर दिया गया है, सम्मिलित है। रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के शेष {उपरोक्त क (2)} वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक ऋण के संयुक्त शेषों को बताते हैं। रोकड़ की पूर्ण स्थिति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा के अन्तर्गत कोषागारों के शेषों, रोकड़ शेषों के अलावा विनियोग एवं विभाग संचित निधि इत्यादि के शेषों से प्राप्त हो सकती है।

(ख) दैनिक रोकड़ शेष: भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध अनुसार राज्य सरकार को बैंक में प्रतिदिन का ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष रखना है। यदि शेष राशि किसी दिन कम हो जाता है तो यह कमी समय-समय पर सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों प्राप्त कर अधिविकर्ष द्वारा सही कर दी जाती है।

दैनिक रोकड़ शेष* को बनाए रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष प्रदान किए जाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लेनदेनों के साथ 14 दिनों के ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन करता है (भारतीय रिजर्व बैंक में अन्तर्राज्यीय लेनदेनों एवं अभिकर्ता बैंकों द्वारा सूचित किए गए कोषागार लेनदेनों द्वारा) इस प्रकार जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, ट्रेजरी बिलों यदि कोई हो की 14 दिन की परिपक्वता अवधि इसमें जोड़ दी जाती है। यदि कोई अधिक शेष न्यूनतम रोकड़ शेष के पश्चात प्राप्त होता है तो उसे ट्रेजरी बिलों में विनियोजित कर दिया जाता है।

यदि शुद्ध रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है और उस दिन कोई ट्रेजरी बिल (जो 14 दिनों में) परिपक्व होने वाला ना हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक अपरिपक्व ट्रेजरी बिलों का भी मूल्यांकन करता है और कमी को पूर्ण कर दिया जाता है। यदि उस दिन इस प्रकार के ट्रेजरी बिल भी न हों तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के बिल आवेदित करती है।

(*) रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर दिनांक 16.04.2010 तक वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्तर्राज्यीय रोकड़ समायोजन के पश्चात प्राप्त शेषों को लेने के पश्चात प्राप्त हुए हैं।

(iii)

(ग) अर्थोपाय अग्रिम:

राज्य सरकार के सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा दिनांक 01.04.2009 से ₹1,45.00 करोड़ थी। बैंक राज्य सरकार के प्रातिभूतियों के आधार पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने के लिए भी सहमत हुआ। बैंक विशेष अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा समय-समय पर पुनरीक्षित करता है। वर्ष 2009-10 के दौरान विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 77.29 करोड़ से ₹ 1,53.34 करोड़ थी।

अग्रिमों, कमियों एवं ओवर ड्राफ्टों पद देय ब्याज निम्नवत है।

न्यूनतम अवशेष में कमी

(क) 90 दिनों तक	5 प्रतिशत
(ख) 90 दिनों से आगे	6 प्रतिशत
(ग) विशेष अर्थोपाय अग्रिम	4 प्रतिशत
(घ) ओवर ड्राफ्ट	7 प्रतिशत

वर्ष 2009-10 में सरकार द्वारा बैंक में निम्नवत न्यूनतम रोकड़ शेष सीमांकित किया—

- (i) दिनों की संख्या जिनमें बिना कोई अग्रिम प्राप्त किस न्यूनतम शेष रहा। (296)
- (ii) दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम शेष रहा। (38)
- (iii) दिनों की संख्या जिनमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम शेष रहा। (69)
- (iv) दिनों की संख्या जिनमें उपरोक्त अग्रिमों को प्राप्त करने के पश्चात तथा अधिविकर्ष को छोड़कर न्यूनतम शेष में कमी रही। (शून्य)
- (v) दिनों की संख्या जिनमें अधिविकर्ष प्राप्त किया गया। (09)

(द) दिनांक 01.04.2009 से दिनांक 31.03.2010 तक ₹ 65,36.50 करोड़ के ट्रेजरी बिल क्रय किए गए तथा ₹ 65,36.00 करोड़ के बिक्री किए गए शेष शून्य रहा।

(iv)

स) दिनांक 31.03.2010 तक सामान्य रोकड़ शेष तथा उद्दिष्ट निधियों से निम्नवत विनियोजन किया गया:

क्र. सं.		रोकड़ शेष निवेश लेखा	उद्दिष्ट निधि	योग
1.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	..	7,78.65	7,78.65
2.	भारत सरकार के कोषागार बिल

1. उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक में जमा) 31 मार्च का रोकड़ शेष है जो कि 16 अप्रैल को आगणित किया गया न कि 31 मार्च के दैनिक शेष से।

